आई0आर0डी0पी0 छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा प्रथम से आठवीं तक सरकारी पाठशालाओं में अध्ययनरत् प्रत्येक उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ देय है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई0आर0डी0पी0 प्रमाण पत्र धारक परिवार से सम्बन्ध रखता हो। यह छात्रवृत्ति लाभ निम्नानुसार देय है:–

कक्षा प्रथम से पांचवीं	मु0 500/– रू0 (पांच सौ केवल) प्रति विद्यार्थी/वार्षिक
कक्षा छठी से आठवीं	मु0 700/– रू0 (सात सौ केवल) प्रति विद्यार्थी/वार्षिक

<u>पात्रता शर्तें:–</u>

1. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई0आर0डी0पी0 प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष, जिसमें वह इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता/चाहती है, विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
2. लाभार्थी सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही हो।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का **आधार नम्बर सम्बद्ध (Aadhar seeded) चालू बैंक खाता** उपलब्ध होना आवश्यक है।

<u>आवश्यक दस्तावेज:–</u>

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई0आर0डी0पी0 प्रमाणपत्र।
2. इस आशय का प्रमाणपत्र कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी उसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही है जहां से उसने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है।
3. इस आशय का प्रमाणपत्र की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी ने किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
4. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. चालू बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की, खाता संख्या एवं आईएफएस कोड सहित, सत्यापित छायाप्रति।

Director
Elementary Education
Himachal Pradesh